राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

क्रमांक प. 3(48)राज–6/07/26 जयपुर, दिनांकः– 2.8.2007

परिपत्र

राजस्थान रेवेन्यू कोर्टस मैन्युअल 1956 के पार्ट–I के नियम 49 में नोटिस की तामील कैसे होगी, का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार जहां किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी एडवोकेट, वकील या रेवेन्यू एजेन्ट द्वारा दिया जा रहा हो तो मुकदमें में किसी कार्यवाही का नोटिस ऐसे वकील पर तामील कराया जायेगा जब तक कि अन्यथा के लिए आज्ञा नहीं दी जाय। यह भी प्रावधान किया गया है कि जब रजिस्ट्रार या मण्डल किसी नोटिस के किसी विशेष तरीके से तामील कराने की हिदायत दे तो वह उसी तरीके से तामील कराया जायेगा

सुशासन पर संगोष्ठी की बैठक दिनांक 18 से 21 दिसम्बर, 2006 को हुई थी, में यह सुझाव दिया गया था कि राजस्व न्यायालयों द्वारा सम्पन्न रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजकर तामील कराया जाय क्योंकि राजस्व न्यायालयों द्वारा जो सम्मन तामील कराये जाते है वे कई बार पक्षकारों को प्राप्त नहीं होते है, जिससे मुकदमें के निस्तारण में देरी होती है।

अतः निर्देश दिये जाते है कि राजस्व न्यायालयों द्वारा सम्मनों की तामील पक्षकारों को रजिस्टर्ड पोस्ट से भी करवायी जा सकती है ताकि पक्षकारों को सम्मन समय पर प्राप्त हो सके और वे अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सके तथा मुकदमों का निस्तारण सही रूप एवं शीघ्र हो सके। रजिस्ट्री का खर्चा संबंधित पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

2.8.2007
(के.जी. अग्रवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
5. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त सहायक कलेक्टर, राजस्थान।

2.8.2007
शासन उप सचिव